

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2018

Dated Shimla-171002, the 20-11-2018
Order

Sub :- Diversion of 3.34 ha of forest land in favour of NHAI for the construction of Sunder Nagar Bypass from (Kms.167/160 to 172/950), under the project widening and Strengthening of Kiratpur to Ner-Chowk section NH-21, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/06/90/2015/1474 dated 23-10-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **3.34 ha** हैक्टियर वन भूमि को **NHAI**, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF -Gehru में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **6.68** है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैंरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 8 सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।
- 9 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 50 trees (40 trees + 10 saplings) से अधिक न हो।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

SFF-A

ARCCF(FEA)

PCCF
26/11

प्र.मु.अ.पा. वि.प्र.

पावती सं. 3285

दिनांक 29/11/2018

Contd./2

- 13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

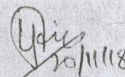
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2018 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 20-11-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6. DFO Suket Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. NHA
8. Guard File.


(P.K. Taak)

Dy. Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.